जनपद हमीरपुर

थाना जरिया **दिनांक 20.06.2026**

थाना जरिया पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, मु0अ0सं0 105/2026, धारा- 331(4),305, 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ।

घटना का विवरण-

दिनांक 11.06.2026 को वादी दीपक पुत्र रणविजय निवासी ग्राम खेड़ाशिलाजीत, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 10.06.2026 की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर आलमारी का ताला तोड़कर पीली एवं सफेद धातु के आभूषण तथा नकदी चोरी कर ली गई। इस संबंध में थाना जरिया पर मु0अ0सं0 105/2026, धारा 331(4)/305 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिनांक 20.06.2026 को थाना जरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की घटना में शामिल एक अभियुक्त दादौ रोड से सरीला-बरहरा मार्ग की ओर पैदल जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम श्याम बाबू उर्फ प्रदीप पुत्र अरविंद राजपूत, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम कुर्रा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर बताया। अभियुक्त की जामातलाशी से एक भूरे रंग का पर्स तथा कुल ₹42,180/- नकद बरामद हुए।

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी कृष्णकांत पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम कुल्हैंडा, थाना मझगवां, जनपद हमीरपुर के साथ मिलकर दिनांक 10.06.2026 की रात्रि ग्राम खेड़ाशिलाजीत में मकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त के बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। सह-अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं शेष माल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

थाना जरिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 105/2026, धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त श्याम बाबू उर्फ प्रदीप पुत्र अरविंद राजपूत को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

श्याम बाबू उर्फ प्रदीप पुत्र अरविंद राजपूत (उम्र करीब 27 वर्ष) निवासी ग्राम कुर्रा थाना राठ जनपद हमीरपुर ।

आपराधिक इतिहास –

श्याम बाबू उर्फ प्रदीप पुत्र अरविंद राजपूत

1.मु0अ0सं0 105/2026 धारा 331(4) /305/317(2) बीएनएस थाना जरिया
2.मु0अ0सं0-228/2023 धारा 380/411 भा0दं0सं0 थाना मुस्करा
3.मु0अ0सं0-229/2023 धारा 380/411 भा0दं0सं0 थाना मुस्करा
4.मु0अ0सं0-32/2024 धारा 60 आब0 अधि0
5.मु0अ0सं0-203/2025 धारा 331(4) /305/317(2) बीएनएस थाना जरिया

बरामदगी –

42,180/- रुपये व एक पर्स ।

पुलिस टीम –	उ0नि0 राजेश राय
उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव	उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह
हे0का0 पंकज सिंह ,	का0 अंचल पटेरिया